

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
 पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. थारु, B.A.S.
 करण संख्या 10/2018
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956
 उनवान

श्री रामू खसरा पत्रावली

निवासी लाला

बनाम

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

श्री राजेश का

निवासी लाला

- विपक्षी / विपक्षीगण

स्थित :-

श्री राजेश का
 खसरा-पत्रावली

निर्णय

दिनांक 7/2/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान मू-राजस्व
 धनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य
 प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम तहसील
 हपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 580, 1505, 1560, 1583 खसरा नम्बर 48, 1184, 1199
 34, 35 कुल किता 7 रकबा 3.59 हेक्टर का
 प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त भूमि के
 प्रार्थी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के
 माचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी
 राई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।
 प्रार्थी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर
 हस अनिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल
 मावन्दी ग्राम संवत् 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया
 उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी
 आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
 वीकार किया जाकर मौजा में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त
 खातेदार/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 7 रकबा 3.59 हेक्टर की
 मुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई
 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये
 जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी
 हेतु कमिश्नर फीस 700 रुपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से
 तहसीलदार शाहपुरा/ मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे।
 पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/2/18 को सरे इजलास सुनाया गया।



(के. आर. थारु)
 उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि शाहपुरा विपक्षीगण
 पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर